डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम एन ई एक्स-001

STATE GOVERNMENT DEPARTMENTS

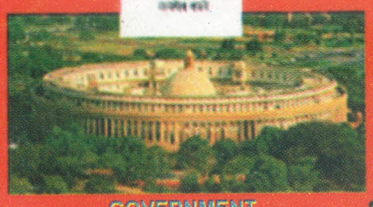

GOVERNMENT OF INDIA

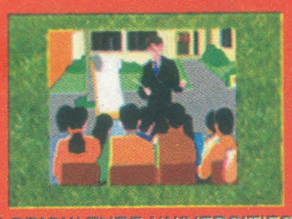

AGRICULTURE UNIVERSITIES

NDDB

DAIRY ANIMAL BREEDING FARMS

ASSOCIATES AND CO-OPERATIVE MILK UNIONS

UNDP AND INTERNATIONAL AGENCIES

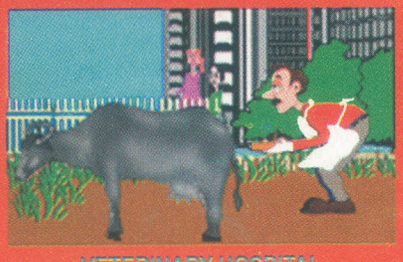

VETERINARY HOSPITAL

MILITARY FARM

ICRA

14 डेयरी विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका

– प्रायोजक
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

कृषि विद्यापीठ
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

"शिक्षा मानव को बन्धनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।"

– इन्दिरा गांधी

"Education is a liberating force, and in our age it is also a democratising force, cutting across the barriers of caste and class, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances."

—Indira Gandhi

कोड : एन.इ.एक्स. - 001 इकाई 14

पशुपालकों एवं ग्रामीणजनों के लिए विशेष

डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम

प्रायोजक

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

कृषि विद्यापीठ
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली - 110 068

संचालन समिति

प्रो. एच.पी. दीक्षित
कुलपति
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एस. सी. गर्ग
समकुलपति
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. पंजाब सिंह
प्रोफेसर
कृषि विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

विशेषज्ञ समिति

डॉ. एस. पी. अग्रवाल
वरिष्ठ वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त)
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार

डॉ. एल. पी. नौटियाल
प्रधान वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त)
आई.वी.आर.आई. इज्जतनगर
बरेली (उ.प्र.)

डॉ. राजबीर सिंह
प्रमुख डेयरी अर्थशास्त्र
एन.डी.आर.आई.
करनाल (हरियाणा)

डॉ. एच.सी. जोशी
प्रधान वैज्ञानिक
आई.वी.आर.आई.,
बरेली (उ.प्र.)

डॉ. के. पी. मलिक
प्रधान वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त)
आई.वी.आर.आई.
इज्जतनगर, बरेली (उ.प्र.)

डॉ. टी. के. वली
प्रधान वैज्ञानिक
एन.डी.आर.आई.
करनाल (हरियाणा)

डॉ. रामचन्द्र
प्रमुख डेयरी प्रसार विभाग
एन.डी.आर.आई.
करनाल (हरियाणा)

डॉ. के.आर. त्रिवेदी
एन.डी.डी.बी.
आनंद (गुजरात)

डॉ. के. एल. भाटिया
प्रधान वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त)
एन.डी.आर.आई.
करनाल (हरियाणा)

डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार
वरिष्ठ वैज्ञानिक
आई.वी.आर.आई., इज्जतनगर
बरेली (उ.प्र.)

डॉ. एस. बी. गोखले
वाइस प्रेसीडेन्ट बैफ पूणे
(महाराष्ट्र)

आर.के. गुप्ता
असिस्टेन्ट कमिश्नर
डेयरी डवलपमेंट
प्रतिनिधि ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

संकाय सदस्य : कृषि विद्यापीठ

प्रोफेसर पंजाब सिंह, प्रोफेसर
डॉ. एम. के. सलूजा, उपनिदेशक
डॉ. एम. सी. नायर, उपनिदेशक
डॉ. इन्द्राणी लाहिरी, सहायक निदेशक
डॉ. पी. एल. यादव, वरिष्ठ परामर्शदाता
डॉ. डी.एस. खुरदिया, वरिष्ठ परामर्शदाता
जयराज, वरिष्ठ परामर्शदाता
राजेश सिंह, परामर्शदाता

कार्यक्रम निर्माण समिति

इकाई लेखक : डॉ. के.आर. त्रिवेदी, एन.डी.डी.बी., आनन्द, गुजरात, राजेश सिंह, परामर्शदाता, कृषि विद्यापीठ, इग्नू

भाषा सम्पादक, अनुवाद एवं प्रूफ पठन : राजेश सिंह, परामर्शदाता, कृषि विद्यापीठ, इग्नू

तकनिकी सम्पादक : डॉ. पी.एल. यादव, वरिष्ठ परामर्शदाता, डॉ. राजीव रंजन कुमार, परामर्शदाता, कृषि विद्यापीठ, इग्नू

सम्पादक : डॉ. एम.सी. नायर, उपनिदेशक, कृषि विद्यापीठ, इग्नू

कार्यक्रम अभिकल्प : नरेन्द्र रघुनाथ, षजीवन, मिनि सधाकरन

परियोजना समन्वय समिति

परियोजना निदेशक - प्रोफेसर पंजाब सिंह, प्रोफेसर, कृषि विद्यापीठ, इग्नू

कार्यक्रम समन्वयक - डॉ. एम.सी. नायर, **सह-समन्वयक**, डॉ. एम.के. सलूजा

सामग्री निर्माण : राजीव गिरधर अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन) कृषि विद्यापीठ
सितम्बर 2006 (पुनः मुद्रित)

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2005

ISBN- 81-266-1720-9

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ़ी (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी कृषि विद्यापीठ, डेक भवन, प्रथम तल, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक कृषि विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

मुद्रक : **सबीना प्रिंटिंग प्रैस**, प्लाट न० 387, सेक्टर-24 फरीदाबाद-121 005 (हरियाणा)
"Paper used : Agrobased Environment Friendly."

विषय-सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	5
2.	उद्देश्य	5
3.	डेयरी विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका	5
	3.1 केन्द्र सरकार की भूमिका	6
	3.1.1 कृषि मंत्रालय	6
	3.1.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय	8
	3.1.2.1 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	8
	3.2 राज्य सरकारों की भूमिका	13
	3.2.1 पशुधन स्वास्थ्य	13
	3.2.1.1 पशु चिकित्सालय	13
	3.2.1.2 पशुचिकित्सा प्राथमिक केन्द्र–उपकेन्द्र	14
	3.2.1.3 सचल पशु चिकित्सालय	14
	3.2.1.4 (पाली क्लीनिक) बहुआयामी चिकित्सालय	14
	3.2.1.5 जैविकी उत्पादन इकाईयाँ	14
	3.2.2 पशुधन विकास प्रक्षेत्र	14
	3.2.2.1 पशु प्रक्षेत्र के कार्य	15
	3.2.3 चारा उत्पादन	15
	3.2.3.1 चारा उत्पादन के क्षेत्र में पशुपालन विभाग की भूमिका	15
	3.2.4 डेयरी विकास	15
	3.2.5 अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम	16
	3.3 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका	16
	3.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भूमिका	17
	3.4.1 राष्ट्रीय–डेयरी विकास बोर्ड के कार्य	18
	3.4.1.1 ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की भूमिका	19
	3.4.1.2 जिला सहकारी दुग्ध संघों की भूमिका	19
	3.4.1.3 राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की भूमिका	19
	3.5 संस्थागत गोवृन्द	19
	3.6 गोशाला	20
	3.7 पशु चिकित्सा औषधीय भेषण उद्योग	21
	3.8 पशु आहार संयंत्र	21
	3.9 ग्रामीण ऋण प्रदायक संस्थाएँ	22
	3.10 भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन (बैफ)	22
	3.11 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ	23
	3.11.1 एफ ए ओ	23
	3.11.2 यू एन डी पी	24
	3.11.3 आई डी एफ	24
	3.11.4 आई.सी.ए.आर.	24
	3.12 पशु बीमा	25
	3.12.1 पशु बीमा हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र	25
	3.12.2 बीमा किश्त एव दरें	25
	3.12.3 बीमा राशि भुगतान न होने की परिस्थितियाँ	27
	अनुलग्नक-1	28
	अनुलग्नक-2	29
4.	सारांश	33
5.	प्रयोगात्मक गतिविधियाँ	34
6.	प्रश्न उत्तर	34
7.	कार्य निर्धारण	35
8.	क्या करें क्या न करें	35
9.	शब्दावली	35

कार्यक्रम परिचय

भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ कृषि एवं पशुपालन को माना जाता है। मानसून की कृषि पर निर्भरता के चलते प्राचीन काल से ही पशुपालन प्रासंगिक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर पशुपालन वैज्ञानिक शोध के बल पर उद्योग का रूप ले चुका है, वही डेयरी की आधुनिक तकनीक का अनुसरण कर ग्रामीणजन आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश में पशुपालन कार्य सामान्यतौर पर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है, अधिकतर पशुपालक जागरूकता के अभाव में इस क्षेत्र में हो रहे नित नये अनुसंधानों से अनभिज्ञ रहते हैं। पशुधन की संख्या एवं दुग्ध उत्पादन (86.7 मिलियन टन, "इण्डिया 2005") की दृष्टि से भारत विश्व परिदृश्य में प्रथम स्थान पर है. लेकिन प्रति पशु उत्पादकता का कम होना अत्यन्त विचारणीय पहलू है। यदि पशुपालको को पशुपालन सम्बन्धी वैज्ञानिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाय तो यह युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। वैज्ञानिक क्रान्ति के मुख्यतः तीन आयाम, शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार है। उन्नत पशुपालन के प्रति आम व्यक्ति में जागरूकता का संचार करने हेतु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कृषि विद्यापीठ (स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर) द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत शासन के सहयोग से डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डेयरी फार्मिंग परिचय, पशु प्रजनन, जनन, पशुपोषण आहार एवं चारा प्रबन्धन, गाभिन पशु एवं बछड़ा–बछिया की देखभाल, दुग्ध उत्पादन, पशु आवास, स्वास्थ्य प्रबन्धन, पशु रोग रोकथाम एवं नियंत्रण, डेयरी फार्म के उपकरण, डेयरी फार्म अर्थशास्त्र एवं लेखांकन, दुग्ध परीक्षण रखरखाव तथा भण्डारण, डेयरी फार्म के अपशिष्ट का निस्तारण, डेयरी विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका जैसी चौदह इकाईयों का प्रकाशन किया गया है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर आधारित श्रव्य–दृष्य (आडियो–वीडियो) चलचित्र (फिल्मों) का निर्माण किया गया है।

क्षेत्र परीक्षण (Field Testing) : डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली 14 (चौदह) इकाईयों का क्षेत्र परीक्षण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पाँच गांवों में 20-25 पशुपालक समूह के बीच किया गया। पशुपालकों एवं किसानों के सुझाव के आधार पर इन इकाइयों में संशोधन किया गया। कृषि विद्यापीठ इग्नू के संकाय सदस्यों के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कैटेट के प्रभारी डॉ. करतार सिंह एवं डॉ. आर.एस. छिल्लर एवं डॉ. बी.के. सिंह ने इस कार्य में विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया। यह डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम पशुपालकों हेतु मागदर्शक एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि एवं पशुपालन यहाँ की अधिकतर जनसंख्या की आजीविका का साधन है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन रीढ़ की भूमिका निभाते हैं। देश के 29 राज्यों एवं 7 केन्द्रशासित प्रदेशो को केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में पशुधन विकास का दायित्व सौंपा गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अनेक संस्थाएँ पशुधन विकास, दुग्ध उत्पादन, नस्ल सुधार जैसे कार्य को प्रोत्साहित कर रही है। दुग्ध उत्पादन में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में जहाँ एक ओर शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी, निजी तथा स्वयं सेवी संस्थाएँ पशुधन विकास एवं दुग्ध उत्पादन में विभिन्न आकर्षक योजनाओं के माध्यम से पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही हैं, वही ग्रामीणजनों की जागरूकता एवं कड़ी मेहनत के चलते भारत पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व मानचित्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश में वर्तमान में 37 कृषि विश्वविद्यालयों सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत पशुधन विकास से संबंधित 17 राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाएँ संचालित हैं, जो इस क्षेत्र में नित नये शोध कार्यों को मूर्तरूप प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा कई सरकारी एवं गैर सरकारी सस्थाएँ भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रही है।

2. उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के पशुपालकों दुग्ध उत्पादकों तथा दुग्ध व्यवसाय से सम्बन्धित लोगों को दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अभिकरणों, संस्थाओं एवं अनुसंधान संस्थानों की भूमिका से अवगत कराना हैं। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन, चारा फसलों, दुग्ध विपणन, पशु बीमा, ऋण तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के क्रियाकलाप के सम्बन्ध में जागरूकता लाना भी इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। यह इकाई डेयरी फार्मिंग में संलग्न लोगों को दिशा–निर्देश देने में मार्गदर्शक साबित होगी, इसमें शासकीय अर्द्धशासकीय, सहकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र में संचालित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है।

3. डेयरी विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका (Role of Different Agencies in Dairying Developments)

देश के पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में संलग्न लोगों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अनेक संस्थाएँ केन्द्र एवं राज्य स्तर पर कार्यरत है। इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाएँ संचालित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत पशुपालन एवं डेयरी

उद्योग विभाग स्थापित किया गया हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) का गठन किया गया है जो पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के माध्यम से योजना बनाने के साथ–साथ उन्हे क्रियान्वित भी करता हैं।

अधिकतर पशुचिकित्सा औषधि निर्माण उद्योग निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। पशुओं के स्वास्थ्य प्रबन्धन में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी ओर देश में खपत होने वाले कुल पशु आहार की लगभग 50 प्रतिशत आपूर्ति निजी क्षेत्र के पशु आहार उत्पादक इकाईयों से होती हैं तथा शेष 50 प्रतिशत आहार की आपूर्ति सहकारी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा होती है। चारा बीज प्रसंस्करण की कुछ इकाईयाँ सहकारी क्षेत्रा में कार्यरत हैं लेकिन चारा बीज की अधिकतर मात्रा निजी क्षेत्र में प्रसंस्कृत होती हैं। देश में ऐसे कई संगठन अथवा संस्थाएँ हैं जो सुनियोजित कार्यक्रम संचालित कर पशुपालकों को पशुधन विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराती है, इन संस्थाओं में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) आदि शामिल हैं। इसके अलावा देश में पशुधन विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। इसमें से भारतीय कृषि उद्योग द्वारा फाउण्डेशन द्वारा प्रमुख रूप से पशुपालन क्षेत्रा में कार्य किया जा रहा है।

3.1 केन्द्र सरकार की भूमिका

3.1.1 कृषि मंत्रालय

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत वर्ष 1991 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्थापना की गई थी।

चित्र 1: कृषि मंत्रालय भारत सरकार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कार्य

यह विभाग पशुपालन डेयरी विकास के क्षेत्र निति निर्धारण एवं कार्यक्रमों का निर्माण कर राज्य सरकारों को योजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी सलाह देता हैं। इस विभाग के कार्य निम्नलिखित है।

- पशुधन उत्पादन संवर्धन के लिए देश के विभिन्न राज्यों में आवश्यक संरचनाओं को विकसित करना।
- पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों के माध्यम से पशुधन विकास को प्रोत्साहित करना तथा पशु स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करना।
- उत्तम वीर्य एवं जीवद्रव्य की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा राज्यों में संचालित पशुधन प्रक्षेत्रों (दुधारु पशुओं, भेड़, बकरी, मुर्गी) के विकास को सशक्त बनाना।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग का संगठन

इसके अन्तर्गत 38 केन्द्रीय पशुधन संगठन, एक डेयरी विकास संगठन तथा पाँच मत्स्य पालन संगठनों का संचालन किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग पशुधन क्षेत्र की प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 12 केन्द्र क्षेत्रीय एवं 10 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

कार्य क्षेत्र

- दुधारु पशुओं को प्रजनन की दृष्टि कोण से उन्नत करना, डेयरी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- खुरपका–मुँहपका जैसे अन्य रोगों के नियंत्रण पर विशेष जोर देने के साथ–साथ पशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु उपयुक्त प्रावधानों को तैयार कर रोग मुक्त क्षेत्रों का निर्माण करना।
- जुगाली करने वाले छोटे एवं बड़े, पशुओं का विकास करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन को विकसित करना।
- किसानों को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रम

क) पशुपालन

केंद्र प्रायोजित

इसके अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना, पशुधन की गणना, प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए एकीकृत

नमूना सर्वेक्षण योजना एवं पोषण और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता, छोटे पशुओं की नस्लों का संरक्षण आदि शामिल है।

प्रमुख संस्थान

पशु स्वास्थ्य निदेशालय (राष्ट्रीय पशु रोग रोकथाम के लिए कार्यक्रम), केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय चारा फसलों पर मिनीकिट जाँच कार्यक्रम, वृहत् निर्माण एवं निर्देशन के लिए क्षेत्रीय केंद्र, केंद्रीय गोवृन्द पंजीकरण योजना, केंद्रीय चारा बीज निर्माण फार्म, हेस्सरघट्टा, बैंगलोर, कर्नाटक केंद्रीय हिमकृत शुक्राणु निर्माण एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि प्रमुख संस्थान पशुधन विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

ख) डेयरी विकास

केन्द्र प्रायोजित

इसके अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम में एकीकृत डेरी विकास परियोजना, गुणवत्तायुक्त और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अधोसंरचना को सशक्त करना, केंद्रीय क्षेत्र, सहकारी समितियों के लिए सहायता, डेयरी एवं मुर्गी पालन जोखिम पूँजी राशि, दुग्ध और दुग्ध उत्पादन नियम, 1992 आदि शामिल है।

3.1.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जनों के सर्वांगीण उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास योजना), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय खाद्य कार्य योजना जैसी उल्लेखनीय योजनाएँ शामिल है। वास्तव में दुग्ध उत्पादन में ग्रामीण क्षेत्र का अभिनव योगदान रहता है इसलिए ग्रामीण विकास की दिशा में संचालित इन कल्याणकारी कार्यक्रमों से दुग्ध उत्पादन का सीधा सम्बन्ध होता है। देश के दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने में इन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

सत्यमेव जयते

3.1. 2.1 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

यह योजना दिल्ली एवं चण्डीगढ़ को छोड़कर देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में वित्तीय संस्थाओं

द्वारा हितग्राहियों को आर्थिक सहायता देने के उपरान्त समय–समय पर संचालित विकासात्मक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात प्रथम बार आर्थिक सहायता देने के पश्चात् एवं द्वितीय बार अनुदान शशि उपलब्ध कराने के पूर्व हितग्राही द्वारा किये गये कार्यों का विस्तृत तौर पर मूल्यांकन किया जाता है।

कार्य क्षेत्र

यह योजना (एस.जी.एस.वाई.) अप्रैल 1999 में प्रारम्भ हुई, इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आय का स्रोत उपलब्ध कराकर तीन वर्ष के भीतर गरीबी रेखा के स्तर से उपर लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख रूप से गरीबों के लिए स्व–सहायता समूह का गठन करना, जनहितैषी गतिविधियों का चयन, प्रशिक्षण देना, ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा स्वरोजगार हेतु तकनीकि ढ़ांचा तैयार कर विपणन व्यवस्था सुलभ कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की सफलता जनकल्याणकारी गतिविधियों के चयन पर निर्भर करती है। ये गतिविधियाँ स्थानीय परिस्थितियों, स्रोत हितग्राही जन समूह के कौशल एवं विचारों के आधार पर निर्धारित होती हैं। यह प्रखंड एस जी एस वाई समिति, वित्तीय सस्थाएँ (बैंक) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इत्यादि के सामंजस्य से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समूह एवं गतिविधियों का निर्णय करती है इसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का चयन कर सर्वप्रथम वरीयता सूची तैयार की जाती है। तत्पश्चात् योजना का क्रियान्वयन को मूर्तरूप प्रदान किया जाता है। समस्त जिला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियों के पास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अधिकार होता है इसके आधार पर जिला स्तर पर सम्मिलित प्रकारणों में सुपात्र हितग्राहियों का आंकलन कर उन्हें लाभान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना की समयावधि का निर्धारण जिला ग्रामीण विकास परिसंघ (डी.आर.डी.ए.) द्वारा किया जाता है। एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारी) को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी दोनों के जरिए आय सृजक परिसम्पत्तियां मुहैया कराकर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

कार्य-नीति

एस.जी.एस.वाई. के. कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित कार्यनीति की दृष्टि से यह पूर्व कार्यक्रमों से भिन्न है तथा इसकी स्वरोजगार के सभी पहलुओं अर्थात् ग्रामीण गरीबों के स्व–सहायता समूहों का गठन तथा उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना, समूहगत गतिविधियों की योजना बनाना, बुनियादी ढ़ांचे तथा प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता को शामिल करके स्वरोजगार के एक व्यापक कार्यक्रम पर आधारित संरचना तैयार की गई है।

समूहगत गतिविधियां-आयोजना तथा चयन

एस.जी.एस.वाई की समूहगत गतिविधियां तथा समूहगत दृष्टिकोण नामक दो मुख्य पहलू हैं। प्रत्येक ब्लाक स्थानीय संसाधनों, लोगों की पेशेवर दक्षता तथा बाजारों की उपलब्धता के आधार पर 4-5 गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता हैं, ताकि स्वरोजगारी अपने निवेशों

से स्थायी आय प्राप्त कर सकें। इन गतिविधियों का चयन ब्लाक स्तर पर पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जिला परिषद) के अनुमोदन से किया जाता हैं। इन मुख्य गतिविधियों को मुख्यतः समूहों में शुरू किया गया हैं ताकि संपर्कों को प्रभावी ढंग से स्थापित किया जा सके।

एस.जी.एस.वाई. गरीबी उन्मूलन के लिए सामाजिक प्रेरणा की प्रक्रिया के जरिए निचले स्तर पर गरीबों के संगठन पर बल देती है। सामाजिक प्रेरणा गरीबों को स्वयं अपने सगंठन (सहायता समूहों) बनाने में सक्षम बनाता हैं जिसमें वे पूर्णतः तथा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और सभी मामलों पर निर्णय लेते है इससे उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर आने में मदद मिलती हैं। एक स्व–सहायता समूह में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित 10-20 व्यक्ति हो सकते हैं तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। लघु सिंवाई योजनाओं के मामले में तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या कम से कम 5 हो सकती है।

लक्ष्य समूह

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवार एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत लक्ष्य समूह होते है। लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 14 प्रतिशत तथा विकलागं व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण के जरिए इन कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।

वित्तीय सहायता

वैयक्तिक स्वोजजगारी अथवा स्व–सहायता समूहों के लिए एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता सरकार द्वारा सब्सिडी तथा बैक द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है। व्यक्तियों के लिए एस. जी.एस.वाई. के अंतर्गत सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक एक सामान होती है बशर्ते कि अधिकतम सीमा 7500 रु. हो। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होती है बशर्त कि अधिकतम 10,000 रु हो। स्वरोजगारियों के समूहों के लिए सब्सिडी योजना की लागत का 50 प्रतिशत होती हैं बशर्ते कि अधिकतम 1.25 लाख रु. हो। सिंचाई परियोनाओं के लिए सब्सिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है।

वित्तपोषण का तरीका

एस.जी.एस.वाई. को केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ

एस.जी.एस. वाई को पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, संबंधित विभागों तथा गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से डी.आर.डी.ए. द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

निगरानी

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निगरानी की वृहत्त प्रणाली अपनाई गई है। कार्यक्रम की केन्द्र स्तर से लेकर बुनियादी स्तर तक निगरानी की जाती है। केन्द्र स्तर पर, केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करती है तथा एस.जी.एस.वाई के लिए ऋण संपर्क से संबंधित सभी पहलुओं के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश बनाती है। ग्रामीण विकास विभाग

की निष्पादन समीक्षा समिति भी एस.जी.एस.वाई के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। राज्य स्तर पर एक राज्यस्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, एस जी एस वाई के अंतर्गत प्रगति की डी.आर.डी.ए. राज्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों एवं विवरणियों के जरिए आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। इस संबंध में कार्यक्रम की प्रगति की सूचना देने के लिए सभी डी.आर.डी.ए. को विस्तृत निगरानी प्रारूप भेज दिए जाते हैं। वार्षिक परियोजना निदेशकों की कार्यशाला तथा राज्य सचिवों के साथ आवधिक बैठकों के जरिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा की जाती है। ब्लाक एवं डी.आर.डी.ए स्तर पर क्षेत्र दौरों तथा परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन के जरिए निगरानी की जाती है।

प्रमुख विशेषताएं

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न है:–

- एम.जी.एस.वाई. का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों की कार्य–क्षमता पर आधारित अनेक लघु उद्यमों की स्थापना करना है तथा ग्रामीण गरीबों की दक्षता संभाव्यता को मूर्तरूप देना है।
- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लघु उद्योगों की स्थापना में समूहगत दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। इसके लिए, प्रत्येक ब्लाक के लिए 4-5 प्रमुख गतिविधियों की पहचान की जाती है। एस.जी.एस.वाई की सहायता का बड़ा हिस्सा गतिविधि समूहों के लिए होता हैं।
- एस.जी.एस.वाई. प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए एक परियोजना दृष्टिकोण अपनाती है। पहचान की गई प्रमुख गतिविधियों के संबंध में परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाती है। परियोजना रिपोर्टों को बनाने में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का निकट का संबंध रहता है और ये परियोजनाएं रिपोर्ट तैयार करती है ताकि ऋण की मंजूरी में होने वाले विलंब को रोका जा सके तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तपोषण सुनिश्चित हो सके।
- गतिविधि के समूहों हेतु वर्तमान ढ़ांचे की समीक्षा कर इसमें वर्तमान अंतरालों की पहचान की जानी चाहिए। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निवेश में महत्वपूर्ण अन्तरालों को भरा जाता है, बशर्ते कि जिले के लिए कुल आबंटन का 20 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) की अधिकतम सामी हो। यह राशि डी.आर.डी.ए. द्वारा ''एस.जी.एस.वाई आधारभूत ढाचा निधि'' के रूप में रखी जाती है।
- प्रमुख गतिविधियों की आयोजना में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि कार्यक्रम की गुणवत्ता पर बिना कोई प्रतिकूल असर पड़े अधिक से अधिक पंचायतों को कवर किया जाए।
- सहायता प्राप्त परिवार कोई अकेला व्यक्ति अथवा कोई समूह (स्व–सहायता) हो सकता है। तथापि, एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सामूहिक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है।
- ग्राम सभा, गरीबी रेखा जनगणना में पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सत्यापित करती है। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए उपयुक्त अलग–अलग परिवारों की पहचान एक सहभागी प्रक्रिया द्वारा की जाती है।

- समूह दृष्टिकोण के तहत गरीब लोगों को स्व–सहायता समूहों के रूप में संगठित करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण शामिल है। प्रत्येक स्व–सहायता समूह में महिलाओं को शामिल करने के प्रयास किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, महिला विशिष्ट समूहों का गठन किया जाता है। ब्लाक स्तर पर कम से कम आधे समूह महिलाओं के होने चाहिएं। सामूहिक गतिविधियों को तरजीह दी जाती है तथा धीरे–धीरे अधिकांश राशि स्व–सहायता समूहों के लिए होनी चाहिए।
- एस.जी.एस.वाई एक ऋण और सब्सिडी कार्यक्रम है। तथापि, इसके तहत ऋण एक महत्वपूर्ण घटक है जबकि सब्सिडी एक लघु तथा सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है। तदनुसार, एस.जी.एस.वाई. में बैंकों की वृहत्त भागीदारी की परिकल्पना की गई है। उन्हें परियोजनाओं की आयोजना तथा तैयारी, गतिविधि समूह का चयन, आधारभूत संरचना की योजना तथा क्षमता निर्माण तथा स्व–सहायता समूहों की क्षमता निर्माण तथा स्व–सहायता समूहों की गतिविधियों के चयन, ऋण पूर्व की गतिविधियों तथा ऋण देने के बाद की मॉनिटरिंग जिसमें धन वसूली भी शामिल है, में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।
- एम.जी.एस.वाई. के तहत एकमुश्त ऋण की बजाय अनेक चरणों वाले ऋण को बढ़ावा दिया जाता है। स्वरोजगारियों की ऋण जरूरतों का ध्यानपूर्वक मूल्याकन किये जाने की आवश्यकता होती हैं। स्वरोजगारियों को पिछले वर्षों में ज्यादा ऋण लेने के लिए अनुमति दी जाती है और वस्तुतः प्रोत्साहित किया जाता है।
- एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से दक्षता विकास पर जोर दिया जाता है। उन लोगों, जिनको ऋण स्वीकृत किए गए है, का मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की संरचना, उनकी अवधि तथा प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पहचान की गयी गतिविधियों की जरूरतों के अनुकूल बनाया जाता है। डी.आर.डी.ए. को एम.जी.एस.वाई. के आंबटन का 10 प्रतिशत तक प्रशिक्षण के लिए निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इसे "एस.जी.एस.वाई. प्रशिक्षण निधि" शीर्षक के अतंर्गत रखा जाता है।
- एम.जी.एस.वाई. की तरह की गयी सामूहिक गतिविधि के लिए तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तकनीकी हस्तक्षेप द्वारा स्थानीय संसाधनों को सुदृढ़ करना होता है जिसमें स्थानीय तथा गैर स्थानीय बाजारों के लिए प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त स्थानीय सामग्री को संसाधित करना सम्मिलित है।
- एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत एस.जी.एस.वाई. के स्व–रोजगारियों द्वारा उत्पादित सामान के विपणन को बढ़ावा दिया जाता है इसमें बाजार आसूचना, बाजारों का विकास परामर्शी सेवाएं तथा निर्यात सहित वस्तुओं के विपणन के लिए संस्थागत व्यवस्था सम्मिलित है।
- एम.जी.एस.वाई. का कार्यन्वयन डी.आर.डी.ए. द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से किया जाता है। योजना बनाने, कार्यान्वयन, निगरानी की प्रक्रिया में जिले के बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, गैर–सरकारी संगठन तथा तकनीकी संस्थाए, शामिल होती हैं।

- एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 15 प्रतिशत निधियाँ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य विभागों अथवा अर्द्ध सरकारी/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से विशेष परियोजनाओं जिनमें अलग–अलग जिला में अथवा जिलों में शुरू की जाने वाली पहले भी शामिल हैं, इनके जरिए ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार हेतु नई पहल शुरू करने के लिए निर्धारित की जाती हैं।

3.2 राज्य सरकारों की भूमिका

पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विकास केन्द्र के साथ–साथ राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारो को पशुधन क्षेत्र के विकास हेतु उत्तरदायी माना जाता हैं। राज्य स्तर पर पशुपालन विभाग संचालित किया जाता हैं। कुछ राज्यों में पशुपालन के साथ डेयरी उद्योग विकास विभाग का भी संचालन किया जाता है, जबकि कुछ राज्यों में दुग्ध आयुक्त भी पृथक रूप से नियुक्त किये जाते है। प्रत्येक राज्यों में स्थापित पशुपालन विभाग अपनी महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।

कार्य

राज्य स्तर पर कार्यरत पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यों में पशुधन स्वास्थ्य, दुधारु पशु विकास, चारा उत्पादन, डेयरी विकास, भेड़ बकरी और ऊँट विकास, मुर्गी पालन, कृषक प्रशिक्षण, अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम,

3.2.1 पशुधन स्वास्थ्य

राज्य पशुपालन विभागों की मुख्य गतिविधियाँ पशुओं को उत्तम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराना हैं। पशुलापन विभाग पशु चिकित्सालयों, पशु चिकित्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पशु चिकित्सा सचल औषधालयों पोली क्लिनिकों जैविक उत्पाद इकाई आदि की सहायता से पशु चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान करता हैं।

3.2.1.1 पशु चिकित्सालय

पशु चिकित्सालय के मुख्य कार्यों में पशुओं का उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु बीमा दावे के लिए प्रमाणपत्र देना, पशुपालन क्षेत्र के कल्याणकारी कार्यकमों के प्रति मार्गदर्शन, विभागीय योजनाओं का क्रियान्वन आदि शामिल है।

पशु चिकित्सालय

3.2.1.2 पशुचिकित्सा प्राथमिक केन्द्र–उपकेन्द्र

इन केन्द्रों द्वारा बीमार पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा के साथ–साथ पशुधन को संक्रामक रोगों के प्रतिरोधी टीके लगवाने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यहाँ कृत्रिम गर्भाधान भी कराया जाता है।

3.2.1.3 सचल पशु चिकित्सालय

चलित पशु चिकित्सालय के द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण, रक्त, गोबर, मूत्र, दूध आदि का परीक्षण, जीवाणुओं एवं विषाणुओं का परीक्षण तथा जैविकी व सीरम सम्बन्धी विश्लेषण किया जाता है।

सचल पशु चिकित्सालय

3.2.1.4 पोली क्लिनिक्स (बहुआभामी चिकित्सालय)

इस प्रकार के पशुचिकित्सालय बहुउददे्श्यीय तथा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। यहाँ पर रोगो के निदान एवं पशुशल्य चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएँ उपलब्ध होती है।

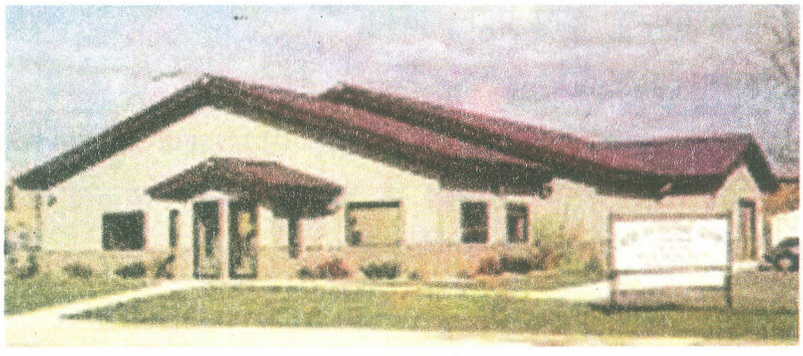

बहुआयामी चिकित्सालय (Poly Clinic)

3.2.1.5 जैविकी उत्पादन इकाईयाँ

अधिकतर राज्यों में इस प्रकार की इकाईयाँ होती है और यहाँ समस्त रोगों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक टीकों (वैक्सीन) का उत्पादन किया जाता हैं।

3.2.2 पशुधन विकास प्रक्षेत्र

सभी राज्यों में एक या दो प्रक्षेत्र स्थानीय रूप से उपलब्ध देशी नस्ल के गायों एवं भैंसों के संरक्षण तथा सुधार के लिये संचालित होते हैं। राज्य सरकारों द्वारा लगभग 200 ऐसे पशु प्रक्षेत्र देश में स्थापित किये गये हैं। इन प्रक्षेत्रों के द्वारा निभाने जाने वाली प्रमुख भूमिका निम्नवत् है।

3.2.2.1 पशु प्रक्षेत्र के कार्य

- इनके माध्यम से प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भधारण के लिए उत्तम श्रेणी के सॉड़ो को तैयार किया जाता है, और विभिन्न केन्द्रों पर उनकी आपूर्ति की जाती है। कृषक इससे सीधे लाभान्वित होते हैं।
- इन प्रक्षेत्रों पर कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक पशुचिकित्सा सेवाएँ, बधियाकरण, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण जैसी बुनियादी सेवाओं को पशुपालकों हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान होता है।
- इनका कार्य बेहतर पशु प्रबन्धन के साथ–साथ किसानों को प्रशिक्षण देना होता है।
- कुछ डेयरी प्रक्षेत्रों पर भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इन सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित कराना भी प्रक्षेत्रों का उददेश्य होता है।
- कुछ प्रक्षेत्र पशु प्रजनन तथा पशुधन संतति परीक्षण के क्षेत्र में दूसरे पशु प्रक्षेत्रों से सहयोग करते हैं।

3.2.3 चारा उत्पादन

राज्य सरकारों द्वारा चारा फसलों के क्षेत्र में विस्तार हेतु उत्तम श्रेणी के चारा बीज की आपूर्ति, चारा क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी व्यवस्था की जाती हैं। इसके अलावा चारा उत्पादन में सुधार, किसानों का मार्गदर्शन, चारा संरक्षण तकनीक का अनुसरण, और चारा स्रोतों के बेहतर उपयोग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

3.2.3.1 चारा उत्पादन चारा उत्पादन के क्षेत्र में पशुपालन विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

- चारा उत्पादन हेतु मिनीकिट्स का वितरण
- चारा काटने वाली मशीनों की आपूर्ति
- चारा बीज उत्पादन एवं आपूर्ति
- चारा उत्पादन एवं संरक्षण पर किसानों को प्रशिक्षित करना

3.2.4 डेयरी विकास

डेयरी विकास के अन्तर्गत प्रमुख रूप से दूध एकत्रीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन कार्य को शामिल किया जाता है, वर्तमान में देश के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित जिला दुग्ध संघों तथा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघो ने डेयरी विकास का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। कुछ गैर डेयरी प्रक्षेत्रों द्वारा भी यह कार्य संचालित किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी गैर प्रचलित क्षेत्रों में डेयरी विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को उन्नत करने की दिशा में प्रयासरत है। दूसरी ओर सहकारी क्षेत्रों के माध्यम से डेयरी विकास में नित नये अध्याय जुड़ रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जहाँ सहकारी डेयरी संस्थाएँ नहीं है वहाँ पर राज्य सरकारें डेयरी विकास कार्य हेतु सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं।

3.2.5 अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम

अनेक राज्य सरकारें भी पशुओं एवं दुधारु पशुओं की उन्नत जातियों के विकास के साथ–साथ अन्य कार्यक्रम जैसे भेड़ बकरी ऊन विकास, अश्व विकास ऊँट विकास आदि को क्रियान्वित कर रही हैं। इसके अलावा कुछ संगठनों द्वारा भी पशुपालन एवं डेयरी उद्योग विभाग के सहयोग से केन्द्र पोषित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा हैं। बीमा कम्पनियों सहित अनेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

3.3 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) की भूमिका

भारतीय कृषि का सर्वोच्च संस्थान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के शीर्ष उपक्रम की श्रेणी में आता हैं। कृषि सहित अन्य विषयों के साथ–साथ परिषद पशु विज्ञान, कृषि विस्तार, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों तथा कृषक समुदाय के जीवनयापन को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित विभिन्न संगठनो से सामंजस्य स्थापित करता हैं। इसके अन्तर्गत 46 केन्द्रीय संस्थानों, 5 ब्यूरो, 27 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों एवं 10 परियोजना निदेशालयों की स्थापना की गयी है। पशुधन विकास के क्षेत्र में कार्यरत कुछ संस्थान इस प्रकार है।

क) दुग्ध उत्पादन हेतु पशुधन विकास के क्षेत्र में संचालित केन्द्रीय संस्थान

अ) केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (सी आई आर बी), ब) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई वी आर आई), स) भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, (आई जी एफ आर आई), द) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एन डी आर आई), य) राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (एन आई ए एन पी)।

ख) राष्ट्रीय ब्यूरो

राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी स्रोत ब्यूरो (एन बी ए जी आर)

ग) राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र

अ) राष्ट्रीय माँस और माँस उत्पाद अनुसंधान केंद्र (एन.आर.सी.एम.एम.पी), ब) राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र (एन आर सी एम), स) राष्ट्रीय याक (सुरागाय) अनुसंधान केंद्र (एन आर सी वाई)।

घ) परियोजना निदेशालय

अ) पशु परियोजना निदेशालय (पी डी सी) ब) मुर्गीपालन परियोजना निदेशालय (पी डी पी)

इसके अलावा देश के विभिन्न भागों के कुल 35 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं। देश में कृषि शिक्षा प्रणाली विभिन्न विशिष्ट विषयों में उपाधि कार्यक्रमों को उपलब्ध कराती हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकी अन्तःक्षेप प्रणाली प्रथम श्रेणी प्रसार गतिविधियों को समर्पित हैं। जिसके अंतर्गत 261 कृषि विज्ञान केंदों को स्थापित किया गया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र व्यावसायिक प्रशिक्षण फार्म पर अनुसंधान उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही ये किसान मेले, किसान, गोष्ठी (किसानों की बैठक) और किसानों के भ्रमण का आयोजन करते हैं।

3.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की भूमिका

सहकारी क्षेत्र का अग्रणी संस्थान

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) की स्थापना समिति अधिनियम 1860 के अन्तर्गत वर्ष 1965 में मुम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के रूप में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आनन्द पद्धति पर सहकारिता के माध्यम से उन्नत सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन विकास एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आनन्द संरचना में मूल इकाई ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति होती है जो दुग्ध उत्पादकों द्वारा संचालित की जाती है। सभी ग्रामीण दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ मिलकर दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना करते हैं। राज्य के सभी दुग्ध संघ मिलकर राज्य दुग्ध सहकारी संघ का निर्माण करते है, वर्ष 1987 में संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत एन डी डी बी को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। एन डी डी बी ने अपना प्रथम आपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 और 1981 के बीच कार्यान्वित किया। इसका दूसरा चरण 1981 से 87 तथा तीसरा 1987-96 के मध्य कार्यान्वित किया गया। वर्तमान में 2010 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एन डी डी बी ने अब तक 119 लाख किसान सदस्यों सहित 1,07,000 ग्रामीण स्तरीय किसान सहकारी समितियों की स्थापना की हैं। 170 जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ एक दिन में 175 लाख लीटर दूध एक साथ एकत्रित एवं प्रसंस्कृत करते हैं तथा 140 लाख लीटर दूध का विक्रय करते है। इसके अन्तर्गत 21 राज्य दुग्ध महासंघ शामिल है।

3.4.1 राष्ट्रीय-डेयरी विकास बोर्ड के कार्य

एन डी डी बी के कार्यों में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

- डेरी तथा अन्य कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन, नियोजन तथा कार्यक्रम आयोजित करना, गहन एवं राष्ट्रव्यापी आधार पर जैविकी को विकसित करना और इस प्रकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करना।
- एक गहन और राष्ट्रव्यापी आधार पर, और अधिक प्रभावी तरीके से सहकारिता की नीति को अपनाना तथा उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- डेयरी उद्योग, प्रतिरक्षा विज्ञान, पशु पालन, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आधारित क्रियाकलापों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना।
- सहकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन, संवर्धन, संरक्षण या व्यवसाय में लगे हुए संगठनों को प्रभावी प्रौद्योगिकी से अवगत कराना।
- तकनीकी जानकारी को किस प्रकार से हिस्सा बनाया जाए, तथा इसके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।
- डेयरी उद्योग के प्रयोजन, नियोजन, प्रोत्साहन, विकासीकरण, निर्माणीकरण, प्रतिभूतिकरण एवं स्थापना ताथ डेयरी उद्योगों और निगमों, उनके वित्तीय व्यवस्था सहित किसी भी संबंधित विकासात्मक गतिविधि में शामिल होना।
- परामर्श संबंधी और प्रबंधकीय सेवाएँ उपलब्ध कराना, तथा टर्न–की आधार पर किसी भी परियोजना का निष्पादन अथवा अतिरिक्त अभिन्न सेवाओं का निष्पादन जैसे कि दूध और दूध उत्पाद का भंडारण, परिवहन, संवर्धन, वितरण और दूध और दूध उत्पाद संबंधी प्रमुख संस्थानों को सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित निर्देशों के अनुसार डेयरी और इससे संबद्ध उद्योगों को नियमित करना तथा नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
- नेशलन मिल्क ग्रीड तथा नेशनल मिल्क हर्ड और अन्य डेयरी उद्योग और इससे संबद्ध उद्योगों को सक्षम प्रबंधन के लिए प्रांसगिक आँकड़े एकत्रित करना और उनका संकलन और आवश्यक सांख्यिकी तैयार करना।
- जब आवश्यक हो दूध की खरीद और विक्रय का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार से सिफारिश करना और यदि आवश्यक हो तो इसे लागू करने में सहयोग और सहायता करना।
- मूल वस्तुओं का बफ़र स्टॉक सुरक्षित करने की व्यवस्था करना।

- दूध और दूध उत्पाद और दुधारु पशु या साँडों के आयात–निर्यात के लिए माध्यम (एजेंसी) के रूप में कार्य करना।
- एन डी डी बी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक हो इससे संबद्ध व्यापार कार्य अथवा कोई भी ऐसा कदम उठाना जो उपर्युक्त संस्था के हित में हो तथा उसके लिए कार्य करना।
- केंद्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के द्वारा संगठन के लिए विशेष विशेषज्ञ उपलब्ध कराने की स्थिति में उसे तुरंत स्वीकार कर लागू करना।

3.4.1.1 ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की भूमिका

एक दिन में दो बार दूध एकत्रित करने की व्यवस्था करना, दूध उत्पादकों को नियमित भुगतान करना, समिति के सदस्यो को संतुलित पशुआहार चारा बीज, कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ, पशुचिकित्सा प्राथमिक उपचार सेवाएँ, दुधारू पशुओं एवं पशुपालकों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराना तथा समिति के सभी सदस्यों को व्यापारिक लाभ का बोनस प्रदान कराना इसके प्रमुख कार्य है।

3.4.1.2 जिला सहकारी दुग्ध संघों की भूमिका

जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों का प्रमुख कार्य दुग्ध उत्पादक समितियों से प्राप्त दूध को प्रसंस्कृत करना, दूध विक्रय की व्यवस्था करना, डेयरी सहकारिताओं को समय पर भुगतान करना, पशुचारा, पशुचिकित्सा तथा पशु प्रजनन सेवाओं में बड़ी लागत प्रबन्धन करना, दुग्ध सहकारिताओं के सदस्यों में व्यापार के लाभ को बोनस के रूप में उनके अंशपूंजी के अनुसार भुगतान करना, सहकारिताओं के ग्रामीण कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना है।

3.4.1.3 राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की भूमिका

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर बाजार में उसके विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करना, राज्य दूध ग्रीड का प्रबन्धन संघ के सदस्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, राज्य सरकार एन डी डी बी सहित अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना इनके प्रमुख कार्य हैं।

3.5 संस्थागत गोवृन्द

देश में 160 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और 29 भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। ये प्रक्षेत्र प्रजनन के लिए आवश्यक विभिन्न नस्ल के साँडों के लिए स्थापित किए गए ताकि देशी नस्ल की शुद्धता को संरक्षित रखा जा सके।

मिल्ट्री फार्म (सैनिक प्रक्षेत्र)

पशु पालन विभाग के पास 7 प्रक्षेत्र हैं जबकि रक्षा मंत्रालय के पास 24 सैनिक फार्म सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थापित है। देश में मिल्ट्री फार्म संकर पशुओं के प्रमुख स्रोत है। वर्ष 1909 में इलाहाबाद में ब्रिटिश ट्रूप को दूध उपलब्ध कराने के उददेश्य से पहली बार सैनिक प्रक्षेत्र की स्थापना की गयी थी। इसके अन्तर्गत यूरोपियन मॉडल के सैनिक फॉर्म विकसित किये गये जिसमें शार्ट हार्न फ्रीजियन संकर प्रजाति को शामिल किया गया, इसमें फ्रीजियन को श्रेष्ठ नस्ल का दर्जा मिला। इसके अन्तर्गत फ्रीजियन नस्ल से जो संकर पशु तैयार किये गये उनमें दूध उत्पादन की क्षमता अच्छी पाई गयी, 3 नवंबर 1987 को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई.सी.ए.आर द्वारा मेरठ में एक पशु परियोजना निदेशालय की स्थापना संकर नस्ल तथा अन्य देशी नस्ल को ध्यान में रखकर किया गया था। इसका प्रबंधन मिल्ट्री फार्मस के द्वारा किया जाता है।

3.6 गोशाला

देश में गोशालाएँ पिछली दो शताब्दियों से हैं। इनका संरक्षण धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से किया जाता है। 1949 में भारत सरकार ने पशु प्रजनन और दुग्ध उत्पादन के लिए गोशाला केंद्रों को विकसित करने तथा उनके पुनर्गठन के उद्देश्य से केंद्रीय गोशाला विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके पश्चात् भारत सरकार ने 1952 में पशु विकास पर केंद्रीय संयोजन और सलाहकारी निकाय के रूप में काम करने के लिए केंद्रीय गो–संवर्धन परिषद् (सी सी जी) की स्थापना की। सी सी जी ने गोशालाओं के संसाधनों का आँकलन करने के लिए पूरे देश का व्यापक सर्वेक्षण किया ताकि इनके विकास के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाई जा सके। सर्वेक्षण से पता लगा कि 21 राज्यों में 1020 गोशालाएँ संगठित हैं जिनमें विभिन्न नस्ल के पशुओं की संख्या 1,30,000 है। सी सी जी ने राज्यों में गोशालाओं के विकास के लिए एक तदर्थ योजना तैयार की ताकि इनके कार्य सहजता से पूरे हो जाएँ। कुछ राज्यों ने गोशाला विकास अधिकारियों की नियुक्ति की ताकि गोशाला के प्रबंधन को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। गोशाला विकास के लिए दूसरी योजना में व्यापक गोशाला विकास योजना शामिल की गई। इस योजना की अवधि में 242 गोशालाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई थी। यह योजना तीसरी योजना के दौरान भी चल रही थी। चौथी योजना के बाद यह योजना राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी।

गोशाला

अधिकतर गोशालाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से समुचित सहायता न मिलने के कारण दुग्ध उत्पादन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु कुछ गोशालाएँ जैसे कि नासिक, यूरुली–कंचन, अमृतसर, इंदौर और अहमदनगर ने इन वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे यह सिद्ध होता हैं कि गोशालाओं के पशुधन और उनकी संवृद्धि में अत्यधिक सुधार हो सकता है यदि उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान कर उपयुक्त योजना बनाई जाए तो ये गोशालाएँ पशुधन की देशी नस्ल के स्वसंस्थान संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन सकते हैं। इन सांड़ों की एक बड़ी संख्या संतति जाँच का माध्यम बन सकती है, क्योंकि संस्थागत फार्मों के पास बछियों की आवश्यक संख्या मौजूद नहीं हैं। इनमें से कुछ गोशालाएँ पहले से ही गोवृन्द संतति जाँच योजना में सहयोगी के रूप में भाग ले रही हैं।

3.7 पशु चिकित्सा औषधीय (भेषण) उद्योग

भारत में पशु चिकित्सा औषधीय उद्योग एक बड़ा उद्योग है जो अधिकतर निजी क्षेत्र में है। वर्तमान में इसकी वार्षिक लेनदेन का आकलन 750 करोड़ रुपया है, जो कि 15 प्रतिशत विकास दर से बढ़ रही है। पशु औषधीय निर्माण में लगभग 150 से अधिक कम्पनियां हैं। पशु चिकित्सीय औषधि के निर्यात में वृद्धि का सही लाभ उठाने का तत्काल में अवसर उपलब्ध है। वर्तमान में 26 जैविकी उत्पादन इकाईयाँ हैं– जिनमें से 19 इकाइयाँ सरकारी क्षेत्र की हैं और 7 इकाइयाँ निजी क्षेत्र में हैं। प्रत्येक वर्ष जीवाणु जनित, विषाणु जनित एवं परजीवी रोगों से बचाव हेतु 1250 मिलियन खुराक टीके तैयार होते हैं।

पशु चिकित्सा औषधि उद्योग

3.8 पशु आहार संयंत्र

भारत में लगभग 90 पशु आहार संयंत्र हैं – इनमें से 47 सहकारी क्षेत्र और शेष निजी क्षेत्र में हैं– यह वर्ष में लगभग 30 लाख मैट्रिक टन पशुआहार का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त एक आँकलन के अनुसार 15 लाख मैट्रिक टन मिश्रित पशुआहार असंगठित निजी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। वर्षभर में लगभग 44 मिलियन मैट्रिक टन कच्ची खाद्य सामग्री खली, अनाज कृषि औद्योगिक उत्पाद आदि के रूप में प्राप्त होता है जबकि माँग 123 मिलियन मेट्रिक टन की होती है। यद्यपि पशुचारा पोषण का संतुलित साधन है केवल 9–10% चारा संसाधनों का उपयोग मिश्रित पशुचारा के उत्पादन के लिए किया जाता है।

3.9 ग्रामीण ऋण प्रदायक संस्थाएँ

देश में इस प्रकार की अनेक संस्थाएँ मौजूद हैं जहाँ से किसान पशुधन कार्यकलापों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उनकी शाखाएँ, राज्य और जिला सहकारिता बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कृषि और पशुधन इत्यादि कार्यकलापों के लिए ग्रामीण ऋण संस्थाओं को पुनः वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

भारतीय सार्वजनिक बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियाँ क्रमशः न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटिड इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, जो पशुधन के लिए बीमा करने का कार्य करती हैं। इनके प्रीमियम की दर प्रायः शिथिलनीय होती हैं। जो सरकार के गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत आते हैं उनको विशेष रियायती दर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।

3.10 भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन (बैफ)

भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउण्डेशन (बैफ) एक व्यावसायिक व्यवस्थित गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को लाभकारी, स्व–रोज़गार के अवसरों को उपलब्ध कराना है, जिससे विशेषकर अलाभकारी या वंचित असुविधाभोगी समुदायों के जीविका उपार्जन के साधनों को निश्चित किया जा सके। साथ ही पर्यावरण, जीवन के उच्च कोटि और अच्छे मानव मूल्यों में सुधार करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है, तत्काल में इसका उद्देश्य विकास, अनुसंधान, स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग, समुचित प्रौद्योगिकी का विस्तार, कौशल का विकास या उन्हें उन्नत करना तथा सामुदायिक भागीदारी के साथ उनकी क्षमता को विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। बैफ 1967 से ही पशु विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। बैफ के पशु विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :

- कम उत्पादक या इस प्रकार के पशु जिनकी कोई निश्चित नस्ल नहीं है या रख रखाव के दृष्टि से अनुपयोगी है उनका सत्यापित सांडों के उच्च गुणवत्ता वाले हिमीकृत वीर्य से स्टेट आफ द आर्ट प्रौद्योगिकी के तहत प्रजनन करना।
- किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भधारण की सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- निकटता से अनुसरण और निगरानी ताकि कार्य निष्पादन के अच्छे परिणाम प्राप्त हो एवं किसानों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने में सहायता मिले।

- स्थानीय पशु नस्ल का संरक्षण जिसमें भैंसे भी शामिल हो तथा बकरी प्रजनन सेवा भी उपलब्ध कराना।
- प्रसार, प्रशिक्षण, चारा संसाधन विकास, स्वास्थ्य नियंत्रण, उपयुक्त स्थानीय स्थितियों के अनुसार अनुसंधान, प्रजनन सेवा का एकीकरण ।
- सहायता सेवाओं का प्रावधान जैसे कि रोगों की जाँच करना, टीकाकरण तथा पोषण संबंधी सलाह देना।
- स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि बैफ के जाने के बाद प्रचालनात्मक उत्तरदायित्व को निभा सके।
- असुविधाभोगी, संवेदनशील, सामाजिक और लैंगिक मुद्दों को लक्ष्य बनाकर कार्य करना।
- बाहरी निर्भरता के बिना कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए स्थानीय संगठनों का विकास करना।

3.11 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

3.11.1 एफ ए ओ (खाद्य और कृषि संगठन)

खाद्य और कृषि संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख को कम करने यानी भुखमरी को रोकने का प्रयास करता है। यह विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में कार्य करता है। एफ ए ओ एक तटस्थ मंच के रूप में कार्य करता है जहाँ समस्त राष्ट्र समान हैसियत से संधि समझौता और नीतिगत चर्चा में भाग लेते हैं। एफ ए ओ ज्ञान और सूचना का स्त्रोत भी है। एफ ए ओ विकासशील देशों तथा देश जो आधुनिकता एवं कृषि, वानिकी, मत्स्य उद्योग में सुधार के बीच है, को सहायता प्रदान करता है। ये सबके लिए अच्छा पौष्टिक पोषण भी सुनिश्चित करता है। यह पोषण के स्तर को ऊँचा करने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने, ग्रामीण लोगों के जीवन को उत्तम बनाने एवं विश्व की अर्थव्यवस्था को समुन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है।

3.11.2 यू एन डी पी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी), सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र जो कि लोकतांत्रिक शासन, गरीबी कम करने, आपदा रोकथाम तथा उसकी बहाली, ऊर्जा और पर्यावरण, एच आई वी (एड्स) आदि क्षेत्र में है उनको विस्तृत सेवाएँ उपलब्ध कराता है। प्रत्येक देश में यू एन डी पी का प्रतिनिधि रहता है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के अनुसार विकास कार्यों का संयोजन करता है। यद्यपि इस तरह के संयोजन को यू एन डी पी ही सुनिश्चित करता है ताकि यू एन और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संसाधनों का प्रभावी प्रयोग हो।

3.11.3 आई डी एफ (अंतर्राष्ट्रीय डेरी फेडरेशन)

अंतर्राष्ट्रीय डेरी फेडरेशन (आई डी एफ), डेरी क्षेत्र के लिए चर्चा परिचर्चा, डेरी संबंधी सूचनाओं का आदान–प्रदान करने का मंच हैं। यह डेरी क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञताओं का स्रोत है। इसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों से संबंधित विश्व स्तर पर वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक सूचनाओं को एकत्रित कर फिर उनको प्रचारित–प्रसारित करना, व्यापार, उत्पादन को उन्नत करना तथा व्यावसायिक ज्ञान व परिचर्चा के अर्थपूर्ण आदान–प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध करना है। वर्तमान में आई डी एफ के भारत सहित 41 सदस्य है।

3.11.4 आई सी ए आर (अंतर्राष्ट्रीय पशु अभिलेखन समिति)

अंतर्राष्ट्रीय पशु अभिलेखन समिति (आई सी ए आर) का लक्ष्य फार्म पशुओं तथा उनके मूल्यांकन करने के लिए निष्पादित अभिलेखन का विकास व सुधार करना है ताकि इसके माध्यम से उनकी परिभाषा तथा आर्थिक महत्व के लिए उनकी विशेषताओं का आंकलन हो सके वर्तमान में आई सी ए आर के भारत सहित 43 देश सदस्य है।

3.12 पशु बीमा

परिभाषा

पशु बीमा कंपनी पशुपालक के जानवरों (गाय, भैंस, बैल, भेड़–बकरी) की प्राकृतिक दुर्घटनाओं (रोग, दुर्घटना, विषबाधा) से मौत होने पर जानवर की कीमत या उसका कुछ प्रतिशत अदा करती हैं। पशुपालक को बीमा कंपनी को जानवरों की कीमत का कुछ प्रतिशत किश्त के रूप में देना पड़ता हैं। इस तरह बीमा कंपनी पशुपालक की आर्थिक हानि कम करने में सहायता करती है।

बीमित पशु की विशेषता

जानवर स्वस्थ और बिमारी से मुक्त होना चाहिये। पशु चिकित्सक से जानवर को रोग प्रतिबंधक टीके लगवाना जरूरी है। जानवर को खान पान अच्छी तरह से कराना चाहिये।

3.12.1 बीमा हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र

- बीमा करने का प्रमाणपत्र जिससे पशुपालक का नाम, पता, जानवरों का टैग नं. (कान की बाली) पहचान के चिन्ह, नस्ल, लिंग, उम्र, रंग, उंचाई, सींग आदि वर्णित होता है।
- पशु चिकित्सक का प्रमाणपत्र
- जानवर की कीमत/जानवर खरीदी की रसीद
- जानवर का रंगीन (कलर) फोटोग्राफ
- बीमा कंपनी का प्रमाणपत्र पशुचिकित्सक की मद्द से पुरा करना चाहिये।

यह सब प्रमाणपत्र देखने के बाद बीमा कंपनी पशुपालक को बीमा पॉलिसी अदा करती हैं। उसके पहले कीमत के अनुसार बीमा कंपनी को किश्त के रूप में कुछ रकम भरनी पड़ती हैं।

3.12.2 बीमा की किश्त एव दरें

बीमे की किश्त पशु की नश्ल, लिंग, तथा स्वास्थ पर निर्भर करती हैं।

किस्त की दरें (वार्षिक)

गैर सरकारी योजना के लिए।

क्रम सं.	पशु का प्रकार	सामान्य स्थाई योग्यता के साथ	स्थाई अयोग्यता के साथ
1.	दुधारु गाय, दुधारु भैंस, सांड व नर भैंस, बैल	4.00	5.00
2.	भेड़–बकरी	3.00	4.00

विभिन्न पशुओं में किश्त की दरे (वार्षिक सरकारी योजनायो के लिये)

क्रम सं.	पशु का प्रकार	सामान्य योग्यता के साथ	स्थाई अयोग्यता के साथ
1.	दुधारू गाय	2.25	3.10
2.	दुधारू भैंस	2.25	3.10
3.	सांड व भैंसा	2.25	3.10
4.	बैल (बधिया किया हुआ)	2.25	3.10
5.	मिथुन (बछड़ा, बछिया)	2.25	3.10
6.	भेंड–बकरी देशी	2.75	3.60
7.	भेंड–बकरी विदेशी	2.75	3.60
8.	ऊँट	2.75	3.60

- किश्त के ऊपर तीन या चार साल के लिये 15 प्रतिशत छूट।
- किश्त के ऊपर पांच साल के लिये 25 प्रतिशत छूट।
- किश्त के ऊपर पांच प्रतिशत की सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज)।
- कम से कम किश्त 50 रु. होना चाहिये।

बीमा योग्य पशु की उम्र

क्रम सं.	पशुओं के प्रकार	उम्र
1.	दुधारू गाय	2–10 वर्ष
2.	दुधारू भैंस	3–12 वर्ष
3.	सांड व भैंसा	2–12 वर्ष
4.	बैल (बछिया किया हुआ)	2–8 वर्ष
5.	मिथुन (बछडा, बछिया)	3–8 वर्ष
6.	भेंड–बकरी देशी	4 माह से 7 वर्ष
7.	भेंड–बकरी विदेशी	4 माह से 7 वर्ष
8.	ऊँट	3–12 वर्ष

प्रमाण (दावा) प्रस्तुत करते समय सूचना एवं दस्तावेज

- पशु की मृत्यु की सूचना।
- पॉलिसी एवं प्रीमियम भुगतान सहित पशुपालक सहित पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा प्रमाणपत्र।
- पशु चिकित्सक द्वारा दिया गया स्वास्थ प्रमाणपत्र।
- पशु चिकित्सक द्वारा दिया गया मृत्यु प्रमाणपत्र।
- टैग नं. (कान की बाली)।
- दो अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दिया गया पंचनामा।
- जानवर की मौत दुर्घटना से होती हैं तो पुलिस का प्रमाणपत्र चाहिये।
- अगर जानवर बैंक माध्यम से लिया हो तो बैंक को भी जानकारी देना चाहिये।

प्रमाणपत्र बीमा कंपनी को भेजने के बाद बीमा कंपनी सोच समझकर जानवर का मुल्य तय करती हैं और उसके अनुसार पशुपालक को आर्थिक सहायता देती हैं। अगर जानवर बैंक के माध्यम से मिला है तो जानवर की किमत बीमा कंपनी बैंक को ही देती हैं। अन्य परिस्थितियों में चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।

3.12.3 बीमा राशि भुगतान न होने की परिस्थितियाँ

- पशुचिकित्सक का प्रमाणपत्र ना हो।
- जानवर का उपचार न किया गया हो।
- बीमा कंपनी को तुरंत जानकारी नही देना।
- बीमा की अवधि समाप्त होने पर।
- टैग संख्या न मिलने पर

अनुलग्नक I

डेरी एवं पशु पालन विभाग के अन्तर्गत दुग्ध व्यवसाय से संबंधित प्रमुख संगठनों की सूची

1. पशु पालन और डेरी उद्योग विकास में कार्यरत संस्थान

केन्द्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र

क) केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट ऑफिस धमरोड, जिला सूरत, गुजरात, **ख)** केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, अन्देश नगर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सिमिलीगुडा, पोस्ट ऑफिस सुनाबाडा, (कोरापुटा), उड़ीसा, **ग)** केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, जिला सामलपुर, उड़ीसा **घ)** केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, अवदी, अलामधी, मद्रास **च)** केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट ऑफिस हेस्सरघट्टा, उत्तरी बैंगलोर

केन्दीय हिमीकृत सुक्राणु संरधान

केंद्रीय हिमीकृत शुक्राणु निर्माण और प्रशिक्षण संस्थान, हेस्सरघट्टा, उत्तरी बैंगलोर **क)** केंद्रीय गोवृन्द (झुण्ड) पंजीकरण यूनिट, डब्ल्यू–15, जगदीश कालोनी, रोहतक, हरियाणा **ख)** डब्ल्यू–34, जी एन एम कालोनी, क्रिश्चियन गंज, अजमेर–305001(राजस्थान) **ग)** केंद्रीय गोवृन्द पंजीकरण यूनिट, 10 गौतम विहार, सहकारी समिति बिल्डिंग, उस्मानपुरा, अहमदाबाद **घ)** केंद्रीय गोवृन्द पंजीकरण यूनिट, सांतापट आंगोले–523001, जिला प्रकाशम, आंध्र प्रदेश

चारा उत्पादन केन्द्र

क) क्षेत्रिय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र, 48 राजबाग (विस्तार), श्री नगर, जम्मू कश्मीर **ख)** क्षेत्रीय चारा उत्पाद और निदर्शन केंद्र सूरतगढ़, राजस्थान। **ग)** क्षेत्रिय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र, पोस्ट टेक्साइल मील हिसार, हरियाणा **घ)** क्षेत्रिय चारा निर्माण और निदर्शन केंद्र, जी ए 128/2, सेक्टर सं. 30, गांधी नगर, गुजरात **च)** क्षेत्रिय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र, अवदी, अलामधी, मद्रास–600 052, तमिलनाडु **छ)** क्षेत्रिय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र ममिदिपल्ली, वाया केशवगिरी, हैदराबाद–500 005 आंध्र प्रदेश

केन्द्रीय संधरोध एवं प्रमाणन केन्द्र

क) पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा केंद्र, दिल्ली–गुडगाँव मार्ग, कापसहेड़ा गाँव, नई दिल्ली **ख)** पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा केंद्र, वेलाचारी, मेन रोड़, पोस्ट ऑफिस पल्लीकरणी गाँव, मद्रास–601302 तमिलनाडु **ग)** पशु संगरोध एवं प्रमाण केंद्र, गाँव – गोपालपुर, पोस्ट ऑफिस गोपालपुर, जिला चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल **घ)** पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा केंद्र, मुम्बई–400065 महाराष्ट्र।

II - डेयरी विकास प्रभाग

दिल्ली दुग्ध योजना पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली

अनुलग्नक II

भारत में डेयरी प्रक्षेत्र

क्रम सं.	प्रजाति गाय की नस्ले	प्रजनन के प्रकार	प्रक्षेत्र
1.	देवनी	द्विउद्देश्य	1. देवनी पशु प्रजनन फार्म गुडगडीपल्ली, आंध्र प्रदेश सरकार, कम्पासागर 2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ 3.देवनी पशु प्रजनन फार्म, बिदर, कर्नाटक 4. महाराष्ट्र सरकार, उदगिर 5. महाराष्ट कृषि विश्वविद्यालय, परभनी
2.	गोलावो	द्विउद्देश्य	1. केंद्रीय प्रजनन संस्थान, हेतीकुंडी 2. महाराष्ट्र सरकार, हेतीकुडी, पोहरा, योतमल
3.	गीर	डेरी	1. गोवा सरकार, कोपरडेम 2. अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर गौशाला, गोंडल 3. बी ए आई एफ मागाज़ारी फार्म, जम्प 4. बोचसनवासी, श्री अक्षर पुरुषोत्तम गौशाला ट्रस्ट, बोचसन 5. गुजरात सरकार, धोराजी 6. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ 7. लोक भारती गौशाला, सनोसरा 8. साबरमती आश्रम गौशाला, बिड़ज 9. कर्नाटक सरकार, कोइला 10. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर 11. कस्तूरबा ग्राम कृषि क्षेत्र, इंदौर 12. रेमंड्स एम्ब्रो अनुसंधान केंद्र, गोपाल नगर 13. मुंबई गाय रक्षक मण्डली, मुंबई 14. मुम्बई पंजरापोल, मुम्बई 15. महाराष्ट्र सरकार, जथ, कोपरगाँव 16. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, रहुरी 17. पंजरापोल संस्था सांगली, सांगली 18. श्री नासिक पंचवटी पंजरापोल, नासिक 19. राजस्थान सरकार, डग
4.	हरियाणा	द्विउद्देश्य	1. असम सरकार, बारपेटा, गुवाहाटी, जगदौर, खानीकर, मंजा, 2. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, 3. बिहार सरकार, दुमराव, कृषि पूर्णिया, सायराकेला, 4. श्री गोशाला, भागलपुर, 5. राजकीय पशुधन फार्म, 6. हरियाण कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, 7. श्री गोशाला सोसायटी, पानीपत, 8 राज्य पशु प्रजनन फार्म, हिसार, 9. मध्य प्रदेश सरकार, इमलीखेड़ा, किरतपुर, मिनोरा, पाकरिया 10. बुल रियरिंग सेंटर, नागपुर, 11. महाराष्ट्र सरकार, हेतीकुंडी, कोपरगाँव, 12. पंजाबराव कृषि–

			विद्यापीठ, वरुड, 13. उड़ीसा सरकार, बोलनगिर, बौद्ध, चिपलिमा, केयोंझर, 14. राजस्थान सरकार, कुम्हर, 15. उत्तर प्रदेश सरकार, बाबूगढ़, हस्तिनापुर, नीलागाँव, सैयदपुर मथुरा 16.वृन्दावन हसानंद गोचर भूमि ट्रस्ट, मथुरा
5.	कंकरेज	द्विउद्देश्य	1. बी ए आई एफ मागजरी फार्म, जम्प, 2. बिड्डा पिंजरपोल और गौशाला मांडवी, 3. बोचसनवासी श्री अक्षर पुरुष–ओट्टम गोशाला ट्रस्ट, बोचसन, 4.गुजरात सरकार, भुज, मांडवी, थारा 5.गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द मन्सा गोशाला ट्रस्ट, वीजापुर
6.	ओंगोले	द्विउद्देश्य	1.आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर, 2.आंध्र प्रदेश सरकार, काकीनंदा, कम्पासागर, महानंदी, विशाखापत्तनम, 3. ओंगोले पशु प्रजनन फार्म, रामतीर्थम 4. ओंगोले पशु प्रजनन परियोजना, गुंटूर
7.	राठी	द्विउद्देशीय	1.राजस्थान सरकार, नोहर, 2.एस के एन कृषि महाविद्यालय, जोबनेर 3. कालेज ऑफ वेटरीनरी एंड एनीमल साइंस, बीकानेर
8.	रेड सिंधी	डेरी	1.गोवा सरकार, घट, 2.जम्मू कश्मीर सरकार, बेली चरणा, 3.कर्नाटक सरकार कोइला, 4. केरल सरकार कोडापनाकुन्नु, 5. राजकीय डेरी यूनिट, कावारत्ती, 6. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, वरुड़ 7. केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, बसंतपुर 8.उड़ीसा सरकार, बोलनगिर, 9. तमिलनाडु सरकारः चेट्टीनाड, होसुर ओरथानाड, पुडुक्कोट्टाई, तिरुनेलवेली, 10. उत्तर प्रदेश सरकार, कलसी
9.	साहीवल	डेरी	1. असम सरकार, जगदौर, पचमिल, सिल्वर 2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 3. साबरमती आश्रम गोशाला, बिड़ज राजकीय 4. पशुधन फार्म, हिसार 5. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल 6. श्री गोशाला सोसायटी (पंजीकृत) पानीपत 7. राज्य पशु प्रजनन फार्म, हिसार 8. जम्मू–कश्मीर सरकार, बेली चरणा 9. मध्य सरकार, अंजोरा 10. रेमंड्स एम्ब्रो रिसर्च सेंट, गोपाल नगर

			11. महाराष्ट्र सरकार बोड, वडसा 12. अमृतसर पिंतरापोल गोशाला, 13. अमृतसर पंजाब सरकार, नभा 14. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना 15. तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, उदगमंडलम 16.जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर 17. उत्तर प्रदेश सरकार, चाक–गंजरिया 18. मिल्ट्री डेरी फार्म, मेरठ 19. पशु परियोजना निदेशक, मेरठ
10.	थारपरकर	डेरी	1. आंध्र प्रदेश सरकार, कम्पासागर, करीम नगर, ममनूर बिरसा 2.कृषि विश्वविद्यालय, रांची, ३. बिहार सरकार, पूर्णिया सायराकेला 4. राजकीय पशुधन फार्म, हिसार 5. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल 6. महाराष्ट्र सरकार, पोहरा योतमल 7. केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ 8. राजस्थान सरकार, चंदन 9. तमिलनाडु सरकार, चेट्टीनाड 10. केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, लखीमपुर 11. उत्तर प्रदेश सरकार, भरारी 12. एक्सोटिक कैटल ब्रीडस

संकरण पशु

भैंस की नस्ले

1.	भदवाड़ी	डेरी	उत्तर प्रदेश सरकार, इटावा
2.	जफ्फरावाड़ी	डेरी	1–अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर, गोशाला, 2. गोंडल गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ 3. साबरमती आश्रम, गोशाला, बिड़ज 4. बी ए आई एफ विकास अनुसंधान फांडशेन, उरुली–कंचन
3.	मेहसाणा	डेरी	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर
4.	मुर्राह	दुधारु	1. भैंस प्रजनन केंद्र, एन डी डी बी, नेकरीकल्लू, 2. आंध्र प्रदेश सरकार, विशाखापत्तनम 3. राजकीय पशुधन फार्मस, बनवासी, होरेसीकुल्लु, काकीनाडा, 4. करीमनगर, ममनूर, रेड्डीपल्ली 5. असम सरकार : बारपेटा, ब्रह्मपुर गुवाहाटी, जगदौर, खानीकर, पोचमाइल, सिल्वर 6. बिहार सरकार, साराकेला, सेपाया 7. गोवा सरकार, 8. धाट अमूल अनुसंधान और विकास समिति, ओडे 9. साबरमती आश्रम गोशाला, बिड़ज 10. केंद्रीय भौंसो पर अनुसंधान, संस्थान, हिसार 11. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, 12. केन्द्रीय पशु प्रजनन और अनुसंधान फार्म, बेली चरण 13. कर्नाटक सरकार बांकापुर, हेस्सरघट्टा, कीइला, कुरीकुप्पी, टोरंगल 14. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर 15. केरल सरकार, कोडापनकुन्नू 16. केरल पशुधन विकास बोर्ड लिमिटेड, धोनी, कुलाथुपुजहा, मट्टूपेट्टी, पीरमेड, 17. छत्तीसगढ़ सरकार अंजोरा, किरतपुरा, रेतोना 18.बी ए आई एफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन, उरुली, कंचन 19. पंजाब सरकार, माट्टेवाड़ा, 20. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना 21. पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, भट्टीयन 22. कृषि महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर 23. केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, मद्रास 24. तमिलनाडु सरकार, होसुर, ऊटी,

			ओरथंड, पुडुकोट्टई, तिरुनेलवेली 25. उत्तर प्रदेश सरकार हस्तिनापुर, लखीमपुर मंजहरा, नीलगाँव 26. प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ, मुरादाबाद 27. पश्चिम बंगाल सरकार हरीनघट्टा
5.	नागपुरी	डेरी	नागपुर, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, नागपुर
6.	निलि–रावी	डेरी	1. केंद्रीय भैंस पर अनुसंधान संस्थान, हिसार 2. पंजाब सरकार, मट्टेवाड़ा 3. मिल्ट्री डेरी फार्म, फिरोजपुर 4.पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना 5. पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, भट्टीयन
7.	पंधरपुरी	डेरी	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कोहलापुर
8.	सूरती	डेरी	1. गोवा सरकार, धट 2. केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोड 3.गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनंद 4. गुजरात जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, आनंद 5. भैंस प्रजनन केंद्र, टेगुर, 6. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ 7. भैंस प्रजनन फार्म, त्रिरुवेझुन केरल सरकार कोडापनकुन्नू 8. बी ए आई एफ विकास अनुसंधान संघ, उरुली कंचन पशु प्रजनन फार्म, हिंगोली।

4. सारांश (Summary)

पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय का सार्थक होना इस बात पर निर्भर करता है कि पशुपालक कितने जागरुक है। पशुपालन तभी लाभकारी हो सकता है जब पशु प्रक्षेत्र पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध है तथा पशुपालक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर रहे हैं। इस इकाई में पशुपालन एवं डेरी व्यवसाय में संलग्न लोगो को भौतिक तथा वित्तिय सुविधाऐं उपलब्ध कराने वाली शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया हैं। इसके अन्तर्गत केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र एवं उनके द्वारा पशुपालकों को प्रदत्त सुविधाओं के सम्बन्ध में बताया गया हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों को स्पष्ट किया गया हैं। इकाई में पशुपालन विभाग विकास की दिशा में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली तथा उसके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी स्पष्ट किया गया हैं। पशुचिकित्सा प्राथमिक केन्द्रों पशु स्वास्थ्य इकाइयों पशुधन विकास प्रक्षेत्रों के संगठनात्मक संरचना को भी प्रस्तुत इकाई में स्पष्ट किया गया हैं। चारा उत्पादन के साथ अन्य पशुधन विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी इकाई में विस्तृत वर्णन किया गया हैं। डेयरी फार्मिंग के उत्पादन में केन्द्र सरकार के शीर्ष उपक्रम भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में भी विस्तार से प्रकाश डाला गया हैं। केंद्र स्तर पर संचालित संस्थानों का सूचीबद्ध वर्णन करने के साथ–साथ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, उसके कार्य, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आदि के संबंध में भी इस इकाई में विस्तार से उल्लेख किया गया हैं। पशु बीमा का विस्तृत वर्णन तथा उसकी महत्ता को भी स्पष्ट किया गया हैं। इस इकाई का अध्ययन कर पशुपालक अपने डेयरी व्यवसाय को आकर्षक एवं मार्गदर्शक बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकता है।

5. प्रयोगात्मक गतिविधियाँ (Practical Activities)

1) अपने नजदीक के केंद्रीय संस्थान या राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र का भ्रमण कर उसकी कार्य विधि का अध्ययन करें।

2) अपने नजदीक के राष्ट्रीय डेरी फार्म का भ्रमण कर वहाँ उपस्थित देशी नस्ल के पशुधन के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

3) अपने प्रखंड के पशु चिकित्सालय का भ्रमण कर वहाँ पशुधन विकास के लिये किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

6. प्रश्न उत्तर (Self Assessment Questions & Answers)

प्रश्न : किसी क्षेत्र में पशुधन विकास के लिये प्राथमिक रूप से कौन उत्तरदायी है।

उत्तर : वहाँ की राज्य सरकार

प्रश्न : केन्द्रीय स्तर पर पशुपालन एवं डेरी विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना कब हुई।

उत्तर : 1991 में

प्रश्न : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय कहाँ स्थित है।

उत्तर : दिल्ली

प्रश्न : नबार्ड (NABARD) से आप क्या समझते हैं।

उत्तर : कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक

प्रश्न : मुख्य दूध उत्पादक नस्ल वाली भारतीय गाये कौन–कौन हैं।

उत्तर : गिर, साहीवाल, रेड सिन्धी एवं थारपारकर।

7. कार्यनिर्धारण (Assignments Based on Unit)

1) भारतीय पशुधन एवं दुग्ध विभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है सूचीबद्ध करें।

2) पशुचिकित्सालयों द्वारा मुहैया कराये जानेवाली सुविधायें क्या–क्या है।

3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत आने वाले पशुपालन से जुड़े किन्हीं पाँच केन्द्रीय संस्थान के नामों को सूचीबद्ध करें।

8. क्या करे, क्या न करे (Do's and Don't)

क्या करे

1) पशुधन की खरीद नस्ल के अनुरुप उसके गुणों के आधार पर करें।

2) उचित दूध न प्राप्त होने को स्थिति में या पशु के बीमार होने की स्थिति में पशु चिकित्सक की राय ले।

3) ऋण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से ही सर्म्पक करें।

4) पशुधन विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों में अवश्य ही भाग लें।

5) पशु के स्वास्थ की जाँच एवं बीमारियों से रोकथाम हेतु टीकाकरण अवश्य करायें।

क्या न करे

1) दूधारू नस्ल के बैलों का प्रयोग भारी कार्यों हेतु ना करें ।

2) पशुधन खरीद के लिये आवश्यक ऋण हेतु लाला या बिचौलिये के बहकावें में न आयें।

3) अपना दूध किसी बिचौलिये के हाथों न बेचे।

4) संकर प्रजाति के पशुओं को कड़े धूप में न रखें।

5) डेरी फार्म में आवारा कुत्तों या पशुओं का आवागमन न होने दें।

9. शब्दावली (Glossary of Terms)

1) आई सी ए आर	(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)–कृषि क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्था
2) एन.डी.डी.बी	(राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड)– दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में शीर्ष सहकारी संस्था

3) बी ए आई एफ	(भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन) – पशुधन विकास–क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्था
4) एफ ए ओ	(खाद्य एवं कृषि संगठन)– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य विभाग
5) यू एन डी पी	(संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम)–विश्व के सभी देशों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत अन्तर्राष्ट्रीय संस्था
6) आई डी एफ	(अन्तर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन)–डेयरी क्षेत्र में ज्ञान के आदान–प्रदान में संलग्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्था
7) आई सी ए आर	(अर्न्तराष्ट्रीय पशु अभिलेखन समिति) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पशुओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित संस्था.
8) आई वी आर आई	(भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान)–पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संस्थान
9) आई जी एफ आर आई	(भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान) चारा अनुसंधान क्षेत्र में कार्यरत शीर्ष संस्थान
10) एन डी आर आई	(राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान) डेयरी शोध के क्षेत्र में संचालित शीर्ष संस्थान
11) नावार्ड	(राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था
12) एस जी एस वाई	(स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीणजनों के सर्वांगीण विकास की दिशा में संचालित योजना।
13) एस जी आर वार्ड	(सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण विकास की महत्वकांक्षी योजना।
14) द्विउद्देश्यीय	पशु के उपयोग के संदर्भ जो पशु दूध एवं भार वाहन दोनों प्रयोग होते हैं।
15) गोवृन्द	विभिन्न उम्र की गायों का समूह।

क्षेत्र परीक्षण
FIELD TESTING

पशुपालन को उद्यम का रूप मिलेगा : पशुपालक

क्षेत्र परीक्षण के दौरान इकाई पढ़ने के लिए प्रेरित करते परीक्षण दल के लोग

पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय कार्य में संलग्न लोगों के लिए कौन–कौन सी संस्थाएँ सहायता प्रदान करती है? केन्द्र तथा राज्य सरकार क्या सहयोग देती है? गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका निभाते है? लोन कहाँ से मिलता है? उत्पादक एवं उन्नत पशु कहाँ प्राप्त होते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें इस इकाई के माध्यम से आसानी से प्राप्त होता है। हमने पहली बार इस प्रकार की किताब देखी है जिसमें सम्पूर्ण जानकारी को शामिल किया गया है। यह कहना है राजधानी दिल्ली, हरियाणा, तथा उत्तर प्रदेश के पशुपालक किसानों का। इस इकाई का परीक्षण करने के लिए दिल्ली, हरियाण तथा उत्तर प्रदेश के पाँच गाँवों में जाकर प्रत्येक गांव में 20-25 कृषकों के समूह के बीच, इस इकाई को पढ़ा गया।

सभी किसानों ने इसमें समाहित पठनीय सामग्री को पढ़ने के उपरान्त अपने विचार रखे। किसानों का कहना था कि इस प्रकार की जानकारी पशुपालकों के उत्थान में आशा की किरण साबित होगी। अव्यवस्थित रूप से दुग्ध उत्पादन करने वाले लोग पशुपालन को व्यवसाय का रूप देकर अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाने में सहयोग प्राप्त होगा।

इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इसमें किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं अथवा और कौन सी जानकारी चाहते हैं कृपया हमें अपने सुझाव एवं विचार से पत्र द्वारा अवगत कराएँ, आपके सुझाव इकाई को संशोधित करने में मार्गदर्शक साबित होगा।

पत्र व्यवहार का पता:––

निदेशक, कृषि विद्यापीठ
डेक बिल्डिंग, प्रथम तल
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068

NOTES

डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित आकर्षक इकाईयाँ

1. परिचय
2. पशु प्रजनन
3. जनन
4. गाभिन पशु एवं बछड़ा-बछिया की देखभाल
5. पशु पोषण, आहार एवं चारा प्रबन्धन
6. दुग्ध उत्पादन
7. दुग्ध परीक्षण, रखरखाव एवं भण्डारण
8. पशु आवास
9. स्वास्थ्य प्रबन्धन
10. पशु रोग, रोकथाम एवं नियंत्रण
11. गोबर तथा डेयरी अपशिष्ट का निस्तारण
12. डेयरी फार्म के उपकरण
13. डेयरी फार्म अर्थशास्त्र एवं लेखांकन
14. डेयरी विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका

SOA-IGNOU/P.O. 1T /September, 2006 (Reprint)

कृषि विद्यापीठ द्वारा अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम

जागरूकता कार्यक्रम

फल एवं सब्जियों से मूल्यवर्धित उत्पाद

डिप्लोमा कार्यक्रम

फल एवं सब्जियों से मूल्यवर्धित उत्पाद
डेयरी प्रौद्योगिकी
मांस प्रौद्योगिकी
जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन

स्नातकोत्तर कार्यक्रम

कृषि नीति (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा एवं उपाधि)

कृषि विद्यापीठ का सम्पर्क सूत्र :
निदेशक,
कृषि विद्यापीठ
डेक बिल्डिंग
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
टेलीफैक्स - (011) 29534104, 29531887

ISBN-81-266-1720-9